फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस– त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट ऑफिस एक्सिस हाउस, बोम्बे डाइगं मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400025 जरिये प्रधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर।

– प्रार्थी/सिक्योर कैडिटर

बनाम

1– श्री सुनील पालीवाल पुत्र हुकमी चन्द पालीवाल निवासी– 79, सिन्धी कॉलोनी रोड़, वार्ड नं. 12, नाथद्वारा जिला राजसमन्द 313301 अन्य पता प्रोपराईटर श्री महाराजा मिनरल्स वॉटर, मावली रोड़, सरदारपुरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द अन्य पता म.सं. ई–6, दुसरी मंजिल, ब्लॉक–ई, सुखाड़िया नगर, नाथद्वारा जिला राजसमन्द

–(ऋणी)

2– रेनू पालीवाल पत्नी सुनील पालीवाल निवासी– 79, सिन्धी कॉलोनी रोड़, वार्ड नं. 12, नाथद्वारा जिला राजसमन्द 313301

–सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 18/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.03.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस अहमदाबाद ने दिनांकः 23.07.2018 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणीगण को कुल रूपये 1215210/–रूपये (बारह लाख पन्द्रह हजार दो सौ दस) ऋण सुविधा जरिये ऋण अनुबंध संख्या PHR009700927816 दिनांक 07.02.2014 को उपलब्ध करायी गयी थी व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज मे मकान नम्बर ई–6, दुसरी मंजिल ब्लांक ई, सुखाडिया नगर नाथद्वारा जिला राजसमन्द क्षेत्रफल 63 वर्गमीटर को बंधक रखा था। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता को एनपीए घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणीगण के ऋण खाते मे रूपये 11,77,860/–रूपये (ग्यारह लाख सतहत्तर हजार आठ सौ साठ) दिनांक 20.01.2018 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋणी को एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी अप्रार्थीगण को दिनांक 22.01.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी व न ही बंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।	

न्यायालय जिला कलक्टर

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 22.01.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत कर उसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस– त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी रिहायशी मकान नम्बर–ई–6, दुसरी मुंजिल, ब्लाक ई, सुखाडिया नगर, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द क्षेत्रफल 63 मीटर, पूर्व में आर एच बी मकान, पश्चिम में रोड़, उत्तर में मकान सं.–इ–5, दक्षिण में निजी जमीन है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस– त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस– त्रिशूल, समर्थेश्वर मन्दिर के पीछे, इलीस ब्रीज, अहमदाबाद को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)